भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3760
बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति

3760. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) की विशेषकर वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित निर्माण चरण के संबंध में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह मिशन वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 125 गीगावाट की वृद्धि सहित अपने प्रत्याशित परिणामों को प्राप्त करने के मार्ग पर है; और

(ग) निर्माण चरण के दौरान किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और मिशन के उद्देश्यों को समय पर पूरा करने और इनका समाधान करने और क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।

भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वर्ष 2030 तक 5 एमएमटी प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें लगभग 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता शामिल है।

वर्तमान में, ग्रीन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन की तुलना में महंगा है। सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए मिशन के तहत विभिन्न पहल की शुरुआत की है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन परिवर्तन (साइट) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन के लिए योजना दिशानिर्देश शामिल हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन की 4,12,000 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता आवंटित की गई है, जबकि ट्रांश-I के तहत 1,500 मेगावाट प्रति वर्ष इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता आवंटित की गई है। साथ ही, ट्रांश-II के तहत 1,500 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन के लिए कंपनियों का चयन किया गया है।

मिशन के अंतर्गत साइट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश – घटक-II: ग्रीन अमोनिया उत्पादन की खरीद के लिए प्रोत्साहन (मोड-2ए के तहत) और घटक-II: ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की खरीद के लिए प्रोत्साहन (मोड-2बी के तहत) 16 जनवरी, 2024 को जारी किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, इस्पात, नौवहन और सड़क परिवहन क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

मिशन के उद्देश्यों को समय पर पूरा करने के लिए किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. दिनांक 31.12.2030 को या उससे पूर्व चालू किए गए ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया संयत्र, और जो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, को परियोजना के चालू होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए आईएसटीएस शुल्कों के भुगतान से छूट दी गई है।
ii. अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हुए जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया का उत्पादन कर रहे स्टैंडअलोन संयत्रों को पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के तहत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता से छूट दी गई है।
iii. इकाइयों को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत शुल्क लाभों में विशेष कर इकाई की कैप्टिव खपत के लिए तथा अक्षय ऊर्जा उपकरणों की स्थापना के साथ-साथ प्रचालन एवं रखरखाव के लिए अनुमति दी गई है।
iv. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) या निर्यातोन्मुख इकाई (ईओयू) के अंदर स्थित अक्षय ऊर्जा संयंत्रों और विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन (या इसके डेरिवेटिव्स) के उत्पादन संयंत्रों के लिए विद्युत की आपूर्ति करने वाले संयंत्रों के लिए, जो एसईजेड के अंदर स्थित हैं या ईओयू के रूप में स्थापित हैं, एएलएमएम और आरएलएमएम आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है।

*****